FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ....

.... नं. .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
02-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकुला/पक्षकारान उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी टूर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3-3-22 को पेश हो।
3-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकुला/पक्षकारान उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी टूर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-3-22 को पेश हो।
11-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकुला/पक्षकारान उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी टूर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-3-22 को पेश हो।
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 11.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
11.04.2022	पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत ... बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव रथाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वाद पत्र डिक्री किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 11/04/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 2020	2020 / 119	08.09.2020	11.04.2022

उनवान प्रकरण

1. कैलाश पुत्र बालूदास आयु 50 वर्ष
2. कालूराम पुत्र नाथूदास आयु 42 वर्ष
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाथूदास आयु 32 वर्ष
4. श्रीराम पुत्र बालूदास आयु 45 वर्ष

समस्त जाति स्वामी निवासी ढ़ाणी पीपल्यावाली तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण

बनाम्

1. ईचरज कॅवर पुत्री मोहन सिंह उम्र– 40 साल
2. उम्मेद कॅवर पुत्री मोहन सिंह उम्र– 43 साल
3. कानसिंह पुत्र मोहनसिंह उम्र– 43 साल
4. रामप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह उम्र– 45 साल

समस्त जाति राजपूत निवासी नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
6. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री हेमन्त कुमार, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

5

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 749 लगायत 752, 755, 757, 759, 760, 761, 834 कुल किता 10 कुल रकबा 2.4800 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नारै पटवार हल्का हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 753, 754, 756, 758 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नारै पटवार हल्का हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है। तन् ग्राम नारै तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 8 जिसके नवीन खसरा नम्बर 753 रकबा 0.25 हैक्टर, 754 रकबा 0.06 हैक्टर, 755 रकबा 0.34 हैक्टर, 756 रकबा 0.22 हैक्टर, 757 रकबा 0.03 हैक्टर, 758 रकबा 0.22 हैक्टर बने है। जिसमें से वादीगण के पिता क्रमशः बालूदास, नाथूदास एंव उनके भाईयों सुरजनदास, रामेश्वरदास, बन्शीदास, छोटूदास पिता भगवानादास स्वामी द्वारा भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद की गई थी। जिसकी खातेदारी इनके नाम पुराने खसरा नम्बर 8 मीन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी थी। कृषि भूमि खसरा नम्बर 758 रकबा 0.22 हैक्टर पर वादीगण के पिता बालूदास, नाथूदास एंव उनके भाई काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे थे एंव उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है एंव पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 0.34 हैक्टर जिसकी खातेदारी वादीगण अकेलों के नाम गलत रूप से दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 0.2200 हैक्टर पूर्वी भाग उत्तर–दक्षिण लम्बाई में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त चले आ रहे है एंव पश्चिमी भाग रकबा 0.12 हैक्टर उत्तर–दक्षिण लम्बाई पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज करवाने एंव दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने से दिनांक 30.08.2020 को इन्कार. होने से वादकारण पैदा होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण का पेश कर निम्नानुसार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि :– ग्राम नारै तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 758 रकबा 0.22 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 0.34 हैक्टर में से रकबा 0.22 हैक्टर पूर्वी भाग उत्तर–दक्षिण लम्बाई की भूमि का अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के नाम दर्ज की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने तथा उक्त भूमि से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर शेष भूमि पश्चिमी भाग रकबा 0.12 हैक्टर उत्तर–दक्षिण लम्बाई की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी नं. 3 व 4 ने दिनांक 24.01.2022 को वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया जा चुका है। प्रतिवादी नं. 5 व 6 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 09.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में वादी कालूराम का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी गवाहान् में जगदीश सिंह व भॅवरलाल स्वामही के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना जाहिर करते हुए डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एंव वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024, 2074–2077 की दो जमाबन्दियॉ, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि में वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी भूमियों के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत वादीगण के पिता व उनके भाईयों के द्वारा पुराने खसरा नम्बरान् में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के खरीद किया जाना प्रकट होता है। उक्त क्रयशुदा भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु उक्त वादपत्र को पेश किया जाना सिद्ध होता है। जिसको साक्ष्य वादीगण में पेश शपथ पत्र व साक्ष्य वादी गवाहान् ने भी अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में इस बाबत कथन किये जाने से वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ के पुराने खसरा नम्बरान् में वादीगण के परिवारजन के द्वारा प्रतिवादीगण के परिवारजन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रय किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के क्रयशुदा भूमियॉ होने से एंव पक्षकारान् प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर अपनी सहमति दिये जाने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार [illegible] है तथा ग्राम नारै तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित [illegible] 758 रकबा 0.22 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है [illegible] उक्त भूमि की खातेदारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:18 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जाकर खाता दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 0.34 हैक्टर में से रकबा 0.22 हैक्टर पूर्वी भाग उत्तर–दक्षिण लम्बाई की भूमि का अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के नाम दर्ज की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने तथा उक्त भूमि से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर शेष भूमि पश्चिमी भाग रकबा 0.12 हैक्टर उत्तर–दक्षिण लम्बाई की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें प्रतिवादी सं. 6 बैंक का बैंक रहन दर्ज है उसे तद्नुसार दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

11/04/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/04/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.04 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested